

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

शुद्धिपत्र

मुंबई, 19 दिसम्बर, 2006

सं. टीएएमपी/47/2005-एमओपीटी.—इस प्राधिकरण ने दिनांक 30 अक्टूबर, 2006 को, मुरमोगांव पत्तन न्यास (एमओपीटी) के दरमान के सामान्य संशोधन से संबंधित प्रकरण सं. टीएमएमपी/47/2005-एमओपीटी में एक आदेश पारित किया था। यह आदेश तथा (संशोधित) दरमान, राजपत्र सं. 175 द्वारा, दिनांक 27 नवम्बर, 2006 को भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग III, खंड 4) में अधिसूचित किये गये थे।

2. यह ध्यान में आया है कि दिनांक 27 नवंबर, 2006 को अधिसूचित समेकित दरमान में कुछ टंकण संबंधी भूल रह गई है। दरमान में को जाने वाली भूल सुधार निम्न प्रकार है :-

- (i) दरमान के भाग-I पोत संबंधी प्रभार के अंतर्गत, बर्थ किराया/लंगरगाह प्रभार के खंड-ग में बर्थ सं. 9 (एमओएचपी) के लिए बर्थ किराया प्रभार से संबंधित क्रमांक सं. (iii) को निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाना चाहिए :

बर्थ सं. 9 के लिए पोत का आकार	बर्थ सं. 9 (एमओएचपी)	
	तटीय पोत (रुपयों में)	विदेशगामी पोत (अमरीकी डालर में)
"(iii) 60,000 जीआरटी से अधिक	0.099	0.003618"

- (ii) अध्याय-III कार्गो संबंधी प्रभार के अंतर्गत क्रमांक सं. 6, खंड-घ कार्गो प्रहस्तन प्रभार के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टी को सम्मिलित किया जाए :

प्रति टन प्रति जलयान औसत उत्पाद	दर प्रति टन (रुपयों में)	
	तटीय कार्गो को छोड़कर	तटीय कार्गो (आयरन ओर, आयरन पेलेट्स और थर्मल कोल को छोड़कर)
"401 टन और अधिक	67.50	40.50"

(iii) वर्तमान नोट I (ख), भाग-V विशेष दर को हटाकर निम्नलिखित का प्रतिस्थापित किया जाए :

“भाग-III के अधीन दरमान में निर्धारित संपदा किरायों पर विशेष दर प्रभाय होगी बशर्ते अलग-अलग पट्टा करारों में, समय-समय पर, दरों में संशोधन की अनुमति देने वाला एक विशिष्ट खंड शामिल करना होगा।”

(iv) दरमान के भाग-IV के शीर्षक में शब्द “खंड-ग” इयया जाए।

अ. ल. बंगोरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/IV/143/2006/असा.]